



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072021-228314
CG-DL-E-15072021-228314

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2628]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 15, 2021/आषाढ़ 24, 1943

No. 2628]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 15, 2021/ASHADHA 24, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2021

का.आ. 2833(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 420(अ) दिनांक 28 जनवरी, 2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 150A के कि.मी. 532.100 से कि.मी. 539.100 (क.बी क्रॉस तो नेल्लिगेरे सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण, (चार लेनिंग आदि को चौड़ा करना) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "०४ तारीख २०२१" को "विजया वाणी" और "डेक्कन हेराल्ड" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 150A के कि.मी. 532.100 से कि.मी. 539.100 (क. बी क्रॉस तो नेल्लिगेरे सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: मांड्या			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: नागमंगला				
	गांव का नाम: अंबलजीरहळ्ळी				
1	1/2B	निजी	नक्	0.0025	ग बी शिवकुमार स/ओ तम्मन्ना ग बी शंकरालिंगे गोव्डा ()
2	13	निजी	वेट	0.0075	श्री रंगयाह स/ओ रंगयाह ()
3	17/3	निजी	गार्डन	0.0151	युवरजा स/ओ मुदला गिरिगोव्द ()
4	27	निजी	ड्राई	0.0404	मनियम्मा षशिधरा विशलम्मा व/ओ गुरुमुर्थी सदनन्द मुर्थी स/ओ चिन्नस्वमैअह अ क कृश्न मुर्थी सओ चिन्नस्वमैअह ()
	गांव का नाम: चुंचनहळ्ळी				
5	129/1A	निजी	वेट	0.0505	गुन्दिनैअह सिद्दलिङ्पा प ग बलरजु प ब पिवरजु ब उमशन्कर ()
6	129/4	निजी	वेट	0.0075	जयकीर्थी स/ओ ड ब गडैअह ()
7	129/5	निजी	वेट	0.005	यशोदाम्मा मंजुनाथ ()
8	166/5	निजी	ड्राई	0.0151	शिवन्ना गोव्डा गंगा ()
9	167/1A	निजी	ड्राई	0.0126	विशकंतया: स/ओ मादय: (167/1A1)
10	62/2	निजी	ड्राई	0.043	गंगाप्पा स/ओ लेट लिंगप्पा ()
11	63/1	निजी	ड्राई	0.043	मंगला व/ओ कृष्णा ()

12	63/2	निजी	ड्राई	0.0025	मंगला व/ओ कृष्णा ()
गांव का नाम: लक्ष्मीपुर					
13	43/4	निजी	ड्राई	0.0025	परमेश्वर स/ओ संनाप्पा ()
14	43/6	निजी	ड्राई	0.0227	भनेयह स/ओ चन्ना ()
गांव का नाम: वडुरळ्ळी					
15	27/3	निजी	गार्डन	0.0025	कम्पम्मा व/ओ भुजंगा ()
16	27/5	निजी	गार्डन	0.005	वसंथा व/ओ रमेश ()
			कुल	0.2774	

[फा. सं. 12037/57/2016-KNT/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th July, 2021

S.O. 2833(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 420(E) dated 28th January 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening four laning etc.), Maintenance, management and operation of National Highway No.150A on the stretch of land from Km. 532.100 to Km. 539.100 (K.B cross to Nelligere Section) in the district of MANDYA in the State of KARNATAKA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Vijaya Vani” and “Deccan Herald” both dated 04th February 2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in the exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 532.100 to Km. 539.100 (K.B cross to Nelligere Section) on National Highway No. 150A in the State of KARNATAKA.

State: KARNATAKA		District: MANDYA			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Nagamangala				
	Village: Ambaljeeranahalli				
1	1/2B	Private	NAK	0.0025	G B Shivakumar S/o Thammanna G B Shankaralinge Gowda
2	13	Private	Wet	0.0075	Shree Rangaiah S/o Rangaiah
3	17/3	Private	Garden	0.0151	Yuvaraja S/o Mudala Girigowda
4	27	Private	Dry	0.0404	Maniyamma Shashidhara Vishalamma W/o Gurumurthy sadananda Murthy S/o Chinnaswamaiah A C krishna Murthy S/o Chinnaswamaiah
	Village: Chunchanahalli				
5	129/1A	Private	Wet	0.0505	Gundinaiah Siddalingapa P G Balaraju P B Shivaraju B Umashankar
6	129/4	Private	Wet	0.0075	Jayakeerthi S/o D B Gangaiah
7	129/5	Private	Wet	0.005	Yashodhamma Manjunatha
8	166/5	Private	Dry	0.0151	Shivanna gowda Gangaiah
9	167/1A	Private	Dry	0.0126	Vishakantaiah S/o Madaiah 167/1A1
10	62/2	Private	Dry	0.043	Gangappa S/o Late Lingappa
11	63/1	Private	Dry	0.043	Mangala W/o Krishna
12	63/2	Private	Dry	0.0025	Mangala W/o Krishna
	Village: Laxmipura				
13	43/4	Private	Dry	0.0025	Parameshwara S/o Sannappa
14	43/6	Private	Dry	0.0227	Bhannaiah S/o Channaiah
	Village: Vaddarahalli				
15	27/3	Private	Garden	0.0025	Kempamma W/o Bhujangaiah
16	27/5	Private	Garden	0.005	Vasanth W/o Ramesha
			TOTAL	0.2774	

[F. No. 12037/57/2016-KNT/3D]

RAJESH GUPTA, Director